अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2020/ 366-395 दिनांक 24/08/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 17.08.2020 को 03:00 बजे आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा., अजमेर
2. श्री मुरारीलाल वर्मा, अति.जिला कलक्टर द्वितीय, अजमेर।
3. श्री मुकेश सोनी, अति.पुलिस अधिक्षक दक्षिण, अजमेर।
4. श्री अनिल गुप्ता, निदेशक अभियंत्रिकी, अ.वि.प्रा., अजमेर
5. श्रीमती नीता विजय मिश्रा, निदेशक विधि, अ.वि.प्रा., अजमेर
6. श्री पुनीत शर्मा, निदेशक आयोजना, अ.वि.प्रा., अजमेर
7. श्री अनिल कुमार जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वा. अभि. वि., अजमेर रिजन, अजमेर।
8. श्री चन्द्रप्रकाश अति. मुख्य अभियन्ता, सावर्जनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
9. श्री रतनराम , अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
10. श्री भूपेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक, अधिक्षण अभियन्ता, अ.वि.वि.एन.एल. अजमेर।
11. श्री प्रेमचन्द कनौजिया, सहायक लेखाधिकारी, (प्रतिनिधि निदेशक वित्त) अ.वि.प्रा, अजमेर
12. श्री योगेश कुमार खत्री, अति. निदेशक पर्यटन विभाग, अजमेर।

सर्वप्रथम सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण ने समस्त आगन्तुक समिति के सदस्यो का स्वागत किया बैठक में बाद विचार विर्मश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	श्रीमती सोनु कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह रलावता निवासी– प्रेम नगर, गंगवाना जिला–अजमेर के प्रकरण का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।	निदेशक आयोजना

क्र.सं.	विवरण	अभियुक्ति
1	आवेदन प्राप्ति की दिनांक	05.11.2019
2	a) आवेदक का नाम यदि आवेदक स्वयं है। यदि आवेदन जरिये मुख्त्यातआम है तो मुख्त्यारनामें की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नही है।	श्रीमती सोनु कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह रलावता निवासी– प्रेम नगर, गंगवाना जिला–अजमेर

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	b) यदि आवेदक कम्पनी है, तो कम्पनी का पंजीबद्ध प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की प्रमाणित प्रति एवं कम्पनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रेजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति। c) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	लागू नहीं लागू नहीं	
3	आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण/खसरा नं. मय ग्राम/तहसील व क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	राजस्व ग्राम घूघरा के खसरा नं. 855 (पुराना), 466 (नया) जिसका कुल क्षेत्रफल 0.33 हैक्टेयर है का प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2017 द्वारा सुओ मोटो 90–क के आदेश आवासीय प्रयोजनार्थ जारी है उक्त सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थी द्वारा आवेदक की भूमि 1940.84 वर्गगज/1622.79 वर्गमीटर में से 1465.10 वर्गगज/1225.01 वर्गमीटर भूमि का पेट्रोल पम्प (व्यावसायिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।	
4	आवेदित भूमि का लागू मास्टर प्लान अथवा जारी लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन	प्रश्नगत भूमि प्रचलित मास्टर प्लान 2023 अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओं प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.06.2017 को आवासीय प्रयोजनार्थ 90–क के आदेश जारी।	
5	आवेदित भूमि का चाहे गये भू–उपयोग परिवर्तन का मास्टर प्लान के अनुसार श्रेणी का स्पष्ट	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक)	

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	विवरण		
6	यदि प्रकरण पूर्व में सन्दर्भित किया गया हो तो उसका विवरण	नहीं	
7	भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर संलग्न है अथवा नही?	संलग्न है। (संलग्न–1)	
8	निम्न दस्तावेज संलग्न करे :–		
	a) स्वामित्व दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी, लीजडीड / पट्टा इत्यादित	प्रमाणित जमाबंदी दिनांक 18.04.2006 के अनुसार आवेदक के नाम है तथा नवीनतम जमाबंदी दिनांक 22.07.2019 के अनुसार प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है। (संलग्न–2)	
	b) आवेदित भूमि व आसपास के स्थित खसरो को दर्शाते हुए खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।	नवीनतम खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न है। (संलग्न–3)	
	c) साईट प्लान / लोकेशन प्लान एवं चारो ओर न्यूनतम 100–100 मीटर की दूरी तक का टोटल स्टेशन सर्वे	संलग्न है। (संलग्न–4)	
	d) प्रस्तावित भूमि जिस सडक पर स्थित है उस सडक की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौडाई	राजस्व ग्राम घूघरा की 100′–0″ चौड़ी सड़क उपलब्ध हैं।	
	e) मास्टर प्लान / ड्राफ्ट मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेन्ट प्लान / सेक्टर प्लान / योजना मानचित्र में आवेदित भूमि की स्थिति का अंकन	अजमेर मास्टर प्लान 2023 पर अंकित कर संलग्न है। (संलग्न–5)	
	f) आवेदित भूमि का आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	गूगल इमेज पर अंकित कर संलग्न है। (संलग्न–6)	
9	a) आवेदित भूमि सह–खातेदारी भूमि है या नही।	आवेदक स्वयं खातेदार है।	
	b) आवेदित भूमि गैर–खातेदारी भूमि है या नही।	नहीं है।	

	c) आवेदित भूमि गै.मु.नदी, तालाब, नाला से प्रभावित है या नही।	नहीं हैं।	
	d) आवेदित भूमि किसी अवाप्ति में है या नही।	नहीं हैं।	
	e) आवेदित भूमि पर कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है या नही।	नहीं है।	
	f) आवेदित भूमि किसी औपचारिक तौर पर घोषित/प्रस्तावित योजना में है या नही।	नहीं है।	
	g) आवदित भूमि की मौके की स्थित।	मौके पर रिक्त है।	
	h) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्माण विद्यमान हो तो नियमों एवं प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप है या नही के सम्बन्ध में रिपोर्ट।	मौके पर रिक्त है।	
10	स्वामित्व दस्तावेजो का परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट टिप्पणी की स्वामित्व वैद्य है अथवा नही।	प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.06.2017 द्वारा सुओ मोटो 90(क) पुनर्ग्रहण कार्यवाही पश्चात भूमि प्राधिकरण स्वामित्व की व्ययनाधीन भूमि है जो कि प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है।	
11	आवेदित भूमि के आसपास स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में भू–उपयोग उपान्तरण किया गया है तो उसका विवरण मय भू–उपयोग मानचित्र पर उसका अंकन।	नहीं है।	
12	यदित प्रस्तावित स्थल से एच.टी लाईन/एल.टी. लाईन/ गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानिचत्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोडने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नही	नहीं है।	
13	रेलवे सीमा/अभ्यारण्य/शिक्षा संस्थापना/हवाई अड्डा इत्यादि से दूरी एवं यदि प्रविबन्धित दूरी से भूमि प्रभावित हो तो संबधित विभाग की अनापत्ति	नहीं हैं।	

	14	आवेदित स्थल का मुख्य सडक से सम्पर्क बाबत् रिपोर्टः–		
		a) आवेदित भूमि नेशनल/स्टेट हाईवे/ग्रामीण सड़क/ अन्य सड़क पर मे से किस सड़क पर स्थितहै।	आवेदित भूमि कायड़–जयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है।	
		b) विद्यमान सड़क का मार्गाधिकार	वर्तमान में आवेदित भूमि के सामने विद्यमान सड़क 100′–0″ चौड़ी है।	
		c) सड़क का विवरण – डब्ल्यूबीएम/बीटी रोड आदि।	बीटी सड़क	
		d) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई	100′–0″ चौड़ी सड़क	
		e) यदि निकाय द्वारा वर्तमान पहुंच मार्ग को चौडा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत् निकाय की टिप्पणी।	नहीं	
		f) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारो से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र/समर्पणनाम आदि का विवरण	नहीं	
	15	सीएलयू आवश्यक क्यो है?		
		a) आवेदित भूमि नगरीयकरण योग्य सीमा में है अथवा नही	नगरीयकरण योग्य सीमा में है।	
		b) मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग	प्रचलित मास्टर प्लान 2023 अनुसार भूमि का भू–उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधाओं है।	

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
[illegible]प्रा., अजमेर

		c) भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य।	अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओं प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवेदक श्रीमती सोनु कंवर द्वारा ग्राम घूघरा के खसरा नं. 855 (पुराना), 466 (नया) जिसका आवेदित क्षेत्रफल 1940.84 वर्गगज/1622.79 वर्गमीटर में से 1465.10 वर्गगज/1225.01 वर्गमीटर का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है।	
		d) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत उक्त प्रकरण व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है अथवा नही।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 द्वारा पैट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है।	
	16	आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति जिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है, उनकी प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	पंजाब केसरी एवं राजदूत दिनांक 08.06.2020 (संलग्न–7, 8)	
	17	जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूचना अपेक्षित हैं यदि निर्धारित समयावधि में/पश्चात् प्राप्त हुए है, तो आपत्ति पर निकाय की बिन्दुवार राय/टिप्पणी की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	कोई आपति प्राप्त नहीं हुई है।	
	18	आवेदित भूमि के आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	संलग्न है। (संलग्न–9)	
	19	स्थानीय निकाय स्तर/प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यकारी समिति की बैठक में आवेदित भूमि के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति		

(RAS)

	संलग्न है अथवा नही?		
20	प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय उच्च/अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के तहत कोई रोक तो नही है, बाबत् परीक्षण कर स्पष्ट टिप्पणी	गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार सिविल रिट संख्या 1554/2004 के पारित निर्णय दिनांक 12.01.17 के बिन्दु सं. (xi) के अनुसार "The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational areas specified in the Master Development Plan or Zonal Plan shall be protected during the operative period of the Plans and even thereafter, while undertaking revision thereof or preparaing a new Plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified."	
21	उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्ब्ध में स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.05.18 द्वारा आवेदित भूमि के 2 कि.मी की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं होने पर पेट्रोल पम्प को वृहद जनहित में माना जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त के परिपेक्ष में प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।	

	22	तकनीकी परीक्षण	1. एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित चौड़ाई व गहराई 20 मी. X 20 मी. वांछित है। आवेदित भूमि की चौड़ाई व गहराई 34.78 X 34.78 मी (114'–10" X 114'–10") है। 2. पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर है एव आवेदित भूमि के सामने की सड़क का मार्गाधिकार 30 मीटर (100'–0") है। 3. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.18 द्वारा पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क/अन्य जिला सड़क पर स्थित होने की स्थिति में सम्बन्धित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यूडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।	
	23	अन्य सूचना	आवेदित भूमि से 2.9 कि.मी. पर अन्य पैट्रोल पम्प स्थित है। प्रश्नगत भूमि मूल खसरा सं. 466 (नया) का भाग है, जिसकी आवासीय प्रयोजनार्थ 90 क के आदेश प्राधिकरण द्वारा जारी किये	

		जाने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जिसके भाग पर पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार सिविल रिट संख्या 1554/2004 के पारित निर्णय दिनांक 12.01.17 के बिन्दु सं. (xi) के अनुसार "The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational areas specified in the Master Development Plan or Zonal Plan shall be protected during the operative period of the Plans and even thereafter, while undertaking revision thereof or preparaing a new Plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified."

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.07.2017 अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत् वृहद जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है। यदि 2 किलोमीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे। एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 8.2.2 (ज) के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा'।

अतः उक्त के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। निदेशक आयोजना ने चर्चा करते हुए अवगत कराया कि पेट्रोल पम्प जिस भूमि पर स्थापित किया जायेगा वह भूमि सुओमोटो आवासीय में दर्ज किया गया है जबकि मास्टर प्लान के हिसाब से भूमि का उपयोग ओसीएफ है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को मार्ग दर्शन हेतु प्रकरण प्रेषित किया जाना उचित होगा।

निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा प्रकरण पर वाद विचार विमर्श कर पत्रावली को राज्य सरकार (नगरीय विकास विभाग) के पास मार्ग दर्शन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2	**श्री नरपत सिंह शेखावत निवास– म. न. 1125/54, सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, जिला–अजमेर के प्रकरण का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।**	निदेशक आयोजना

क्र.सं.	विवरण	अभियुक्ति

कुमार (RAS)
सचिव
अजमेर

1	आवेदन प्राप्ति की दिनांक	25.11.2019	
2	a) आवेदक का नाम यदि आवेदक स्वयं है। यदि आवेदन जरिये मुख्त्यातआम है तो मुख्त्यारनामें की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नही है। b) यदि आवेदक कम्पनी है, तो कम्पनी का पंजीबद्ध प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की प्रमाणित प्रति एवं कम्पनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रेजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति। c) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	श्री नरपत सिंह शेखावत निवासी–मकान नं. 1125/54, सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, जिला– अजमेर लागू नहीं लागू नहीं	
3	आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण/खसरा नं. मय ग्राम/तहसील व क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवेदित भूमि ग्राम लोहागल के खसरा संख्या 1355 का भाग है जिसका आवेदित क्षेत्रफल 769.54 वर्गगज/643.43 वर्गमीटर है।	
4	आवेदित भूमि का लागू मास्टर प्लान अथवा जारी लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन	प्रचलित मास्टर प्लान 2023 अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ है।	
5	आवेदित भूमि का चाहे गये भू–उपयोग परिवर्तन का मास्टर प्लान के अनुसार श्रेणी का स्पष्ट विवरण	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक)	
6	यदि प्रकरण पूर्व में सन्दर्भित किया गया हो तो उसका विवरण	नहीं।	
7	भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर संलग्न है अथवा नही?	संलग्न है। (संलग्न–1)	
8	निम्न दस्तावेज संलग्न करें :– a)स्वामित्व दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी, लीजडीड/पट्टा इत्यादित	 प्रमाणित जमाबन्दी आवेदक के नाम है तथा संलग्न है।	
	b) आवेति भूमि व आसपास के स्थित खसरो को	नवीनतम खसरा ट्रेस की प्रमाणित	

कुमार (RAS)
सचिव
अजमेर

	दर्शाते हुए खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।	प्रति संलग्न।	
	c) साईट प्लान/लोकेशन प्लान एवं चारो ओर न्यूनतम 100–100 मीटर की दूरी तक का टोटल स्टेशन सर्वे	संलग्न है।	
	d) प्रस्तावित भूमि जिस सडक पर स्थित है उस सडक की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौडाई	मुख्य लोहागल सड़क पर स्थित है जिसकी विद्यमान चौड़ाई लगभग 100 फीट है एवं प्रस्तावित चौड़ाई 160 फीट है।	
	e) मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/योजना मानचित्र में आवेदित भूमि की स्थिति का अंकन	आवेदित भूमि को मास्टर प्लान 2023 पर अंकन कर संलग्न है।	
	f) आवेदित भूमि का आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही	गूगल इमेज पर अंकित कर संलग्न है।	
9	i) आवेदित भूमि सह–खातेदारी भूमि है या नही।	आवेदक स्वयं खातेदार है।	
	j) आवेदित भूमि गैर–खातेदारी भूमि है या नही।	नहीं है।	
	k) आवेदित भूमि गै.मु.नदी, तालाब, नाला से प्रभावित है या नही।	नहीं हैं।	
	l) आवेदित भूमि किसी अवाप्ति में है या नही।	नहीं है।	
	m) आवेदित भूमि पर कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है या नही।	नहीं है।	
	n) आवेदित भूमि किसी औपचारिक तौर पर घोषित/प्रस्तावित योजना में है या नही।	नहीं है।	
	o) आवदित भूमि की मौके की स्थित।	मौके पर रिक्त है।	
	p) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्माण विद्यमान हो तो नियमों एवं प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप है या नही के सम्बन्ध में रिपोर्ट।	मौके पर रिक्त है।	
10	स्वामित्व दस्तावेजो का परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट टिप्पणी की स्वामित्व वैद्य है	पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैद्य है।	

	अथवा नही।		
11	आवेदित भूमि के आसपास स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में भू–उपयोग उपान्तरण किया गया है तो उसका विवरण मय भू–उपयोग मानचित्र पर उसका अंकन।	नहीं है।	
12	यदित प्रस्तावित स्थल से एच.टी लाईन/एल.टी. लाईन/ गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानिचत्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोडने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नही	नहीं है।	
13	रेलवे सीमा/अभ्यारण्य/शिक्षा संस्थापना/हवाई अड्डा इत्यादि से दूरी एवं यदि प्रविबन्धित दूरी से भूमि प्रभावित हो तो संबधित विभाग की अनापत्ति	नहीं हैं।	
14	आवेदित स्थल का मुख्य सडक से सम्पर्क बाबत् रिपोर्टः–		
	g) आवेदित भूमि नेशनल/स्टेट हाईवे/ग्रामीण सड़क/ अन्य सड़क पर मे से किस सड़क पर स्थितहै।	आवेदित भूमि मुख्य लोहागल सड़क पर स्थित है।	
	h) विद्यमान सड़क का मार्गाधिकार	वर्तमान में आवेदित भूमि के सामने लगभग 100 फीट चौड़ी सड़क विद्यमान है।	
	i) सड़क का विवरण – डब्ल्यूबीएम/बीटी रोड आदि।	बीटी सड़क	
	j) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई	24 मीटर	
	k) यदि निकाय द्वारा वर्तमान पहुंच मार्ग को चौडा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत् निकाय की टिप्पणी।	मास्टर प्लान अनुसार सड़क मार्गाधिकार 160 फीट किया जाना प्रस्तावित है।	

कुमार (RAS)
सचिव
मा., अजमेर

	l) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारो से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र/समर्पणनाम आदि का विवरण	नहीं	
15	सीएलयू आवश्यक क्यो है?		
	e) आवेदित भूमि नगरीयकरण योग्य सीमा में है अथवा नही	नगरीयकरण योग्य सीमा से बाहर है।	
	f) मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग	प्रचलित मास्टर प्लान 2023 अनुसार भूमि का भू–उपयोग शैक्षणिक है।	
	g) भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य।	अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 के अनुसार पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है।	
	h) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत उक्त प्रकरण व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है अथवा नही।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन को 2 कि.मी. की परिधि में अन्य पेट्रोल पम्प स्थित नहीं होने की स्थिति में व्यापक जनहित की श्रेणी में माना है। आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है तथा उक्त भूमि के 2 कि.मी. की परिधि में अन्य पेट्रोल पम्प हेतु प्राधिकरण को प्रकरण प्राप्त हुए है।	
16	आपत्तियां आमन्त्रित करने हेु जारी विज्ञप्ति जिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है, उनकी प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योति दिनांक 17.06.2020	

	17	जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूचना अपेक्षित हैं यदि निर्धारित समयावधि में/पश्चात् प्राप्त हुए है, तो आपत्ति पर निकाय की बिन्दुवार राय/टिप्पणी की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	नियत अवधि में एक आपत्ति प्राप्त हुई जिसकी बिन्दुवार टिप्पणी संलग्न है।		
	18	आवेदित भूमि के आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	संलग्न है।		
	19	स्थानीय निकाय स्तर/प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यकारी समिति की बैठक में आवेदित भूमि के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?			
	20	प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय उच्च/अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के तहत कोई रोक तो नही है, बाबत् परीक्षण कर स्पष्ट टिप्पणी	गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार सिविल रिट संख्या 1554/2004 के पारित निर्णय दिनांक 12.01.17 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड की 2 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई पेट्रोल पम्प स्थित न होने पर पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है किन्तु आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02. 2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है। साथ ही आवेदित भूमि से लगभग 1.97 कि.मी. की दूरी पर खसरा नं. 1457, 1458 का भाग में आवेदन श्री प्रनीत गर्ग का आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ विचाराधीन है।		

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	21	उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बध में स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.05.18 द्वारा आवेदित भूमि के 2 कि.मी की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं होने पर पेट्रोल पम्प को वृहद जनहित में माना जाने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु आवेदित भूमि से लगभग 1.97 कि. मी. की दूरी पर खसरा नं. 1457, 1458 का भाग में आवेदन श्री प्रनीत गर्ग का आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ विचाराधीन है एवं आवेदित भूमि से 1.41 कि.मी. की दूरी पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है। अतः उक्त के परिपेक्ष में प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।		

किशोर कुमार (RAS)

22	तकनीकी परीक्षण	1. एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित चौड़ाई व गहराई 20 मी. X 20 मी. वांछित है। आवेदित भूमि की चौड़ाई व गहराई 22.86+20.12/2 X 20.12 मीटर है। 2. पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर है एव आवेदित भूमि के सामने की सड़क का मार्गाधिकार 48.0 मीटर है। 3. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.18 द्वारा पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क/अन्य जिला सड़क पर स्थित होने की स्थिति में सम्बन्धित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यूडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।	
23	अन्य सूचना	आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है एवं अन्य एक पेट्रोल पम्प सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकरण विचाराधीन है।	

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.07.2017 अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत् वृहद जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है। यदि 2 किलोमीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे। एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 8.2.2 (ज) के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा"।

...शोर कुमार (RAS)

प्रश्नगत प्रकरण एकीकृत भवन विनियम 2017 के 8.2.2 (ज) में निर्धारित तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति करता है। आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है एवं अन्य एक पेट्रोल पम्प सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 17.06.2020 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना आवेदक श्री नरपत सिंह शेखावत राजस्व ग्राम लोहागल खसरा नं. 1355 क्षेत्रफल 643.43 वर्गमीटर पर श्री बाबू खान पुत्र श्री रामजान खान निवासी जनाना अस्पताल के पास, लोहागल, अजमेर द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आपत्ति का विवरण	टिप्पणी
1.	यह कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जो सार्वजनिक सूचना भू–उपयोग परिवर्तन की दिनांक 16.06.2020 क्रमांक अविप्रा/प.3/भू.उ./पारि/ 2020/349 को दैनिक नवज्योति के पृष्ठ सं. 8 पर प्रकाशित की गई है। जिसमें मेरी उक्त सार्वजनिक सूचना पर आपत्ति है।	सामान्य
2.	यह कि जो खसरा नं. 1355 राजस्व ग्राम लोहागल श्री नरपत सिंह शेखावत ने प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प भू–उपयोग परिवर्तन हेतु सूचना प्रकाशित की है के खसरा नं. के आस–पास का पूर्ण क्षेत्र शिक्षण संस्थान हेतु आरक्षित है व वर्तमान में आर्यन कॉलेज, आर्यन स्कूल, जाजू कॉलेज, जाजू आई.टी.आई संचालित है व उक्त खसरा नं. 1355 से जनाना अस्पताल की 500 मीटर की दूरी भी नहीं है।	खसरा नं. 1355 के आसपास का क्षेत्र मास्टर प्लान में शैक्षणिक उपयोग हेतु प्रस्तावित है।
3.	यह कि जनहित की स्थिति में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करना उचित नहीं है क्योंकि खसरा नं. के आस–पास में संचालित शिक्षण संस्थान व अस्पताल स्थापित होने से आस–पास में भय की स्थिति व दुर्घटना घटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।	पेट्रोल पम्प एक आमजन की मूलभूत सुविधाओं की श्रेणी में माना गया है।
4.	यह कि खसरा नं. 1355 पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है उसके पूर्वी	राज्य सरकार के नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग के आदेश

किशोर कुमार (RAS)

		दिशा में आवासीया कॉलोनिया बसी हुई है जिनमें भी भविष्य में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ से उसके ज्वलनशील पदार्थ से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहेगी।	दिनांक 23.05.2018 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.07. 2017 अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत् वृहद जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है। यदि 2 किलोमीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे।	
	5.	यह कि शास्त्रीनगर अजमेर से जनाना अस्पताल के बीच में पूर्व में भी दो पेट्रोल पम्प अलौट हो चुके हैं जिनमें नगर विकास आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा क्र.प. 10(35) नविवि/03/2010 पार्ट –प दिनांक 23.05.2018 के अनुसार दोनों पेट्रोल पम्प के मध्य दो किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है जो कि खसरा नं. 1355 व अन्य दो पेट्रोल पम्प जो पूर्व में अलौट हो चुके है उनसे से एक पेट्रोल के मध्य दो किलोमीटर की दूरी नहीं बन रही है। इस कारण चूंकि पेट्रोल को जनहित में मानकर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है। इस कारण यह प्रकरण जनहित के प्रकरणों में शामिल नहीं होता है।	1. आवेदित भूमि से लगभग 1.41 कि.मी. की दूरी पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक श्री अजीत सिंह का खसरा नं. 1532 में आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 24.02.2020 को जारी किये गये हैं। 2. लगभग 1.97 कि.मी. की दूरी पर खसरा नं. 1457, 1458 का भाग में आवेदक श्री प्रनीत गर्ग का प्रकरण आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ विचाराधीन है।	
	6.	यह कि उक्त खसरा नं. 1355 के पास से अजमेर विद्युत वितरण निगम की ग्यारह हजार वोल्ट की बिजली की हाई टेन्शन लाईन भी जा रही है जिसे भविष्य में जन हानि होने की संभावना बनी हुई है।	उक्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त जारी अनुमति के क्रम में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षात्मक मापदण्डों की पालना आवेदक के स्तर से की	

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ... अजमेर

		जानी होगी।	

निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि इस प्रकरण बाबत् एक आपत्ति प्राप्त हुई है जिसमें पेट्रोल पम्प जिस भूमि में स्थापित किया जायेगा उसके पास में 11 हजार वोल्ट की लाईन गुजरने बाबत एवं अन्य बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत हुई है अतः अ.वि.वि.एन.एल से स्पष्ट रूप से टिप्पणी प्राप्त किया जाना उचित होगा कि क्या ऐसी भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा प्रकरण में वाद विचार विमर्श अ.वि.वि.एन.एल. के अधिकारी द्वारा वार्ता कर अ.वि.वि.एन.एल के अधिकारियों को एच.टी. लाईन के क्रम में मौका रिपोर्ट कर अगली बैठक में प्रकरण को रखने का निर्णय लिया गया ।

3	श्री प्रनीत गर्ग पुत्र श्री प्रदीप गर्ग निवासी ग्राम लोहागल, जिला –अजमेर के प्रकरण का पैट्रोलपम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।	निदेशक आयोजना

क्र. सं.	विवरण	अभियुक्ति
1	आवेदन प्राप्ति की दिनांक	11.09.2019
2	a) आवेदक का नाम यदि आवेदक स्वयं है। यदि आवेदन जरिये मुख्त्यातआम है तो मुख्त्यारनामें की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नही है।	श्री प्रनीत गर्ग पुत्र श्री प्रदीप गर्ग निवासी ग्राम विनायकम्, लोहागल, जिला –अजमेर
	b) यदि आवेदक कम्पनी है, तो कम्पनी का पंजीबद्ध प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की प्रमाणित प्रति एवं कम्पनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रेजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति।	लागू नहीं
	c) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	लागू नहीं

किशोर कुमार (RAS)

3	आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण/खसरा नं. मय ग्राम/तहसील व क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवेदित भूमि ग्राम लोहागल के खसरा संख्या 1457, 1458 का भाग है। जिसका आवेदित क्षेत्रफल 704.78 वर्गगज/589.28 वर्गमीटर है। उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख जारी है।
4	आवेदित भूमि का लागू मास्टर प्लान अथवा जारी लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन	आवेदित भूमि प्रचलित मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ है।
5	आवेदित भूमि का चाहे गये भू–उपयोग परिवर्तन का मास्टर प्लान के अनुसार श्रेणी का स्पष्ट विवरण	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक)
6	यदि प्रकरण पूर्व में सन्दर्भित किया गया हो तो उसका विवरण	नहीं
7	भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर संलग्न है अथवा नही?	संलग्न है। (संलग्न–1)
8	निम्न दस्तावेज संलग्न करें :– a) स्वामित्व दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी, लीजडीड/पट्टा इत्यादित	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी। (संलग्न–2)
	b) आवेति भूमि व आसपास के स्थित खसरो को दर्शाते हुए खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।	आवेदित भूमि का खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न है। (संलग्न–3)
	c) साईट प्लान/लोकेशन प्लान एवं चारो ओर न्यूनतम 100–100 मीटर की दूरी तक का टोटल स्टेशन सर्वे	संलग्न है। (संलग्न–4)
	d) प्रस्तावित भूमि जिस सडक पर स्थित है उस सडक की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौडाई	आवेदित भूमि मुख्य लोहागल सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 160 फीट निर्धारित है।
	e) मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/योजना मानचित्र में आवेदित भूमि की	आवेदित भूमि का भू–उपयोग अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय है। (संलग्न–5)

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
..., अजमेर

	स्थिति का अंकन	
	f) आवेदित भूमि का आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	गूगल इमेज पर अंकित कर संलग्न है। (संलग्न–6)
9	a) आवेदित भूमि सह–खातेदारी भूमि है या नही।	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी।
	b) आवेदित भूमि गैर–खातेदारी भूमि है या नही।	नहीं है।
	c) आवेदित भूमि गै.मु.नदी, तालाब, नाला से प्रभावित है या नही।	नहीं हैं।
	d) आवेदित भूमि किसी अवाप्ति में है या नही।	नहीं हैं।
	e) आवेदित भूमि पर कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है या नही।	नहीं है।
	f) आवेदित भूमि किसी औपचारिक तौर पर घोषित/प्रस्तावित योजना में है या नही।	नहीं है।
	g) आवदित भूमि की मौके की स्थित।	मौके पर रिक्त है।
	h) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्माण विद्यमान हो तो नियमों एवं प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप है या नही के सम्बन्ध में रिपोर्ट।	मौके पर रिक्त है।
10	स्वामित्व दस्तावेजो का परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट टिप्पणी की स्वामित्व वैद्य है अथवा नही।	आवासीय पट्टा विलेख दिनांक 01.04.2016 को जारी है। अतः स्वामित्व वैध है।
11	आवेदित भूमि के आसपास स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में भू–उपयोग उपान्तरण किया गया है तो उसका विवरण मय भू–उपयोग मानचित्र पर उसका अंकन।	नहीं है।
12	यदित प्रस्तावित स्थल से एच.टी	नहीं है।

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	लाईन / एल.टी.लाईन / गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानिचत्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोडने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नही	
13	रेलवे सीमा / अभ्यारण्य / शिक्षा संस्थापना / हवाई अड्डा इत्यादि से दूरी एवं यदि प्रविबन्धित दूरी से भूमि प्रभावित हो तो संबधित विभाग की अनापत्ति	नहीं हैं।
14	आवेदित स्थल का मुख्य सडक से सम्पर्क बाबत् रिपोर्टः–	
	a) आवेदित भूमि नेशनल / स्टेट हाईवे / ग्रामीण सड़क / अन्य सड़क पर में से किस सड़क पर स्थितहै।	आवेदित भूमि मुख्य लोहागल सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 फीट है।
	b) विद्यमान सड़क का मार्गाधिकार	विद्यमान सड़क की चौड़ाई 80 फीट है।
	c) सड़क का विवरण – डब्ल्यूबीएम / बीटी रोड आदि।	बीटी सड़क
	d) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई	24 मीटर
	e) यदि निकाय द्वारा वर्तमान पहुंच मार्ग को चौडा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत् निकाय की टिप्पणी।	नहीं
	f) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारो से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र / समर्पणनाम आदि का विवरण	नहीं

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
[illegible], अजमेर

15	सीएलयू आवश्यक क्यो है?	
	a) आवेदित भूमि नगरीयकरण योग्य सीमा में है अथवा नही	नगरीयकरण योग्य सीमा में है।
	b) मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग	मास्टर प्लान एवं जारी पट्टा विलेख अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय है।
	c) भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य।	अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 के अनुसार पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है।
	d) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत उक्त प्रकरण व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है अथवा नही।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन 2 कि. मी. की परिधि में अन्य पेट्रोल पम्प स्थित न होने की स्थिति में व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है। आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है एवं अन्य पेट्रोल पम्प हेतु आवेदन प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है।
16	आपत्तियां आमंत्रित करने हे जारी विज्ञप्ति जिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है, उनकी प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत दिनांक 14.02.2020 (संलग्न–7, 8)
17	जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूचना अपेक्षित हैं यदि निर्धारित समयावधि में/पश्चात् प्राप्त हुए है, तो आपत्ति पर निकाय की बिन्दुवार राय/टिप्पणी की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही	नियत अवधि में दो आपत्ति प्राप्त हुई जिनकी बिन्दुवार टिप्पणी संलग्न है।
18	आवेदित भूमि के आसपास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति	संलग्न है। (संलग्न–9)

कुमार (RAS)
सचिव
अजमेर

	संलग्न है अथवा नही?	
19	स्थानीय निकाय स्तर/प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यकारी समिति की बैठक में आवेदित भूमि के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही?	
20	प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय उच्च/अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के तहत कोई रोक तो नही है, बाबत् परीक्षण कर स्पष्ट टिप्पणी	गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार सिविल रिट संख्या 1554/2004 के पारित निर्णय दिनांक 12.01.17 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.05.2018 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड की 2 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई पेट्रोल पम्प स्थित न होने पर पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है
21	उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्ब्ध में स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी	गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार सिविल रिट संख्या 1554/2004 के पारित निर्णय दिनांक 12.01.17 के बिन्दु सं. (xiv) "In the residential colonies developed as per the layout plan approved, where the plan does not provide for mixed user, no residential land in such colonies shall be permitted to be used for commercial or any other uses." का उल्लेख है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.05.18 द्वारा आवेदित भूमि के 2 कि.मी की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं होने पर पेट्रोल पम्प को वृहद जनहित में माना जाने हेतु निर्देशित किया गया है। किन्तु आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है। अतः उक्त के परिपेक्ष में प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। ।
22	तकनीकी परीक्षण	1. एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित चौड़ाई व गहराई 20 मी. X 20 मी. वांछित है। आवेदित भूमि की चौड़ाई व गहराई 20.39 X 29.07 मी. है। 2. पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित न्यूनतम सड़क

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
प्रा., अजमेर

		मार्गाधिकार 24 मीटर है एव आवेदित भूमि के सामने की सड़क का मार्गाधिकार 48 मीटर है। 3. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07. 03.18 द्वारा पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क/अन्य जिला सड़क पर स्थित होने की स्थिति में सम्बन्धित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यूडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
23	अन्य सूचना	आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2018 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.07.2017 अनुसार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के तहत् वृहद जनहित के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है। यदि 2 किलोमीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे। एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 8.2.2 (ज) के अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा"।

प्रश्नगत प्रकरण एकीकृत भवन विनियम 2017 के 8.2.2 (ज) में निर्धारित तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति करता है। आवेदित भूमि से 2 कि.मी. की परिधि में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 1532 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कुमार (RAS)

विषय : दिनांक 14.02.2020 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना आवेदक श्री प्रनीत गर्ग खसरा नं. 1457, 1458 का भाग क्षेत्रफल 589.28 वर्गमीटर पर श्री मोहित सिंह चौहान एडवोकेट द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	आपत्ति का विवरण	टिप्पणी
1.	यह कि पेट्रोल पम्प साईड खसरा नं. 1457/1458 का भाग में तीनों तरफ इन्टर सेक्शन बन रहा है जो कि पेट्रोल पम्प बायलोज के हिसाब से गलत है।	एकीकृत भवन विनियम 2017 में उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु सं. 8.2.2(ज) के अनुसार सड़क के सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेन्सी एनएचएआई प्राधिकरण/पीडब्ल्यूडी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
2.	यह कि पेट्रोल पम्प साईड से लोहागल पंचशील सरक्यूलर रोड की दूरी भी 90 मी. है जो कि एक ओर इन्टर सेक्शन बन रहा है इस कारण दुर्घटना सम्भावित हो सकती है।	एकीकृत भवन विनियम 2017 में उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु सं. 8.2.2(ज) के अनुसार सड़क के सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेन्सी एनएचएआई प्राधिकरण/पीडब्ल्यूडी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
3.	यह कि पेट्रोल पम्प में परिपत्र दिनांक 20.01.2016 एफ–59 एसटीपी/डीएलबी/पेट्रोल पम्प(08) 16/963 में दिशा निर्देश क्रमांक 1.3 (i) जो कि पेट्रोल पम्प हेतु है उक्त दिशा निर्देश में दर्शाये गये माप को पूर्ण करना अनिवार्य है जो कि प्रनीत गर्ग के LOI लेटर द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है।	एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प (दो पहिया व चौपहिया वाहन हेतु) न्यूनतम 20 मी. चौड़ाई व 20 मी. गहराई होनी आवश्यक है। आवेदित भूमि की चौड़ाई व गहराई क्रमशः 20.39 मी. X 29.07 मी. है जो कि न्यूनतम चौड़ाई व गहराई से अधिक है।
4.	यह कि उक्त पेट्रोल पम्प साइड गांव की घनी आबादी में स्थित है जिस कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी व MORTH की पेट्रोल पम्प	प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है।

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	स्थापना हेतु गाईड लाईन्स का भी उल्लंघन करता है।	
5.	यह कि ग्राम लोहागल में अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 09.01.2017 को पूर्व में ही LOI लेटर जारी किया जा चुका है व राज. सरकार द्वारा दिनांक 25.09. 2019 को भू–उपयोग परिवर्तन कर आदेश जारी कर दिये गये है व आप विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश प्रदान कर दिये है।	राजस्व ग्राम लोहागल में अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह के प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2020 को पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है।
6.	यह कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट – II दिनांक 23.05.2018 में पारित आदेश जिस आदेश में पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है यदि 2 कि.मी. की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे एवं आप विभाग द्वारा 24.02.2020 को अजीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह को भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश पारित किये है व इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिनांक 09.01.2017 को पूर्व में ही LOI लेटर जारी किया जा चुका है इस कारण राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट – II दिनांक 23.05.2018 के कारण	बिन्दु सं. 5 में वर्णित भूखण्ड प्रस्तावित भूखण्ड से लगभग 2 कि.मी. की परिधि में स्थित है।

किशोर कुमार (RAS)
सचिव

	उक्त पेट्रोल पम्प साईड अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह की पेट्रोल पम्प साईड खसरा नं. 1532 पुराना व नया 1324 से मात्र 800 मी. की दूरी पर ही है जो कि उक्त आदेश का खुला उल्लंघन है।	

दिनांक 12.02.2020 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना आवेदक श्री प्रनीत गर्ग खसरा नं. 1457, 1458 का भाग क्षेत्रफल 589.28 वर्गमीटर पर श्री अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आपत्ति का विवरण	टिप्पणी
1.	यह कि ग्राम लोहागल में मुझ प्रार्थी को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 09.01.2017 को पूर्व में ही LOI लेटर जारी किया जा चुका है व राज. सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.1(33) नविवि / अविप्रा / 2019 दिनांक 25.09.2019 को भू–उपयोग परिवर्तन कर आदेश जारी कर दिये गये है व आप विभाग द्वारा आदेश क्रमांक अविप्रा/प.3/नियोजन शाखा/2020/164 दिनांक 24.02.2020 को भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश प्रदान कर दिये है।	प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा नं. 1532 में अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह के नाम पर आवासीय से पेट्रोल पम्प (व्यावसायिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश दिनांक 24.02.2020 को जारी किये गये है।
2.	यह कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट – II दिनांक 23.05.2018 में पारित आदेश जिस आदेश में पेट्रोल पम्प भी आमजन की मूलभूत सुविधा है यदि 2 कि.मी. की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है तो पेट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना जावे एवं आप विभाग द्वारा 24.02.2020 को मुझ प्रार्थी को भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश पारित किये है व इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिनांक 09.01.2017 को पूर्व में ही LOI लेटर जारी किया जा चुका है इस कारण राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं	

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

		आवासीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट – II दिनांक 23.05.2018 के कारण उक्त पेट्रोल पम्प साईड मुझ प्रार्थी की पेट्रोल पम्प साईड खसरा नं. 1532 पुराना व नया 1324 से मात्र 800 मी. दूरी पर ही है जो कि उक्त आदेश का खुला उल्लंघन है।		

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा प्रकरण के संदर्भ मे प्राप्त आपत्ति के क्रम में अवगत कराया कि पेट्रोल पम्प के लिए चाही जा रही भूमि के पास मुख्य रोड पर 300 मीटर का इन्टर सेक्शन होने की स्थिति पैट्रोल पंप स्थापित किये जाने बाबत् पीडब्लू डी से रिपोर्ट ली जानी उचित होगी।

निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट लेकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया ।

4	**ग्राम घूघरा में वाणिज्यिक योजना का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** अजमेर में हेलीपेड़ के पास ग्राम घूघरा के खसरा न. 1046, 1046/4282 के अजमेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर वाणिज्यिक योजना का ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.08.2020 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना स्वीकृत की गई है। प्रश्नगत भूमि जयपुर मुख्य मार्ग पर फ्लाई ओवर के समानान्तर हेलीपेड़ के निकट स्थित है तथा इस भूमि का अजमेर मास्टर प्लान में सड़क मार्गाधिकार पश्चात् भू–उपयोग वृक्षारोपण पट्टी एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ तथा कुछ भाग ओपन हेतु दर्शाया हुआ है। जयपुर रोड़ के समानान्तर सड़क मार्गाधिकार 200 फीट के साथ–साथ 30 मीटर चौडाई का ग्रीन बफर जोन योजना के समानान्तर एक पट्टी के रूप में प्रस्तावित है। मास्टर प्लान प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर जोन को योजना क्षेत्र में मे प्रस्तावित बड़े वाणिज्यिक भूखण्डो के क्षेत्रफल में सम्मिलित कर दर्शाया गया है। योजना क्षेत्र के उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चौडी सड़क मास्टर प्लान अजमेर के प्रस्तावों के अनुसार योजना से लगते हुए प्रस्तावित की गयी है। योजना के उत्तरी किनारे की ओर दुकाने प्रस्तावित की गयी है तथा इसी क्षेत्र में सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। साथ ही योजना क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बफर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव/योजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदन किया गया एवं आगामी प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया ।**	**निदेशक आयोजना**

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

5	**फूस वाली कोठी का आवासीय ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की योजना अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** फूस वाली कोठी आवासीय योजना के ले–आऊट प्लान के एक ब्लाक को ग्रुप हाउसिंग के लिए एकल भूखण्ड़ के रूप में सृजित कर भवन मानचित्र समिति (ले–आऊट प्लान) समिति की बैठक दिनांक 13.08.2020 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ग्रुप हाउसिंग हेतु योजना स्वीकृत की गई है। अजमेर शहर में फ्रेजर रोड़ पर 3 ब्लॉक में स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर पूर्व में आवासीय भूखण्डो का ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था। उक्त 3 ब्लॉक के अनुमोदित ले–आउट प्लान में से मध्य के एक ब्लॉक, जो की फ्रेजर रोड़ मुख्य मार्ग पर खुलता है को ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन हेतु एक भूखण्ड़ के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव / योजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया एवं आगामी प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।**	निदेशक आयोजना
6	**राजस्व ग्राम माकड़वाली में प्रोफेशनल इन्स्टीट्यूट हेतु योजना के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा नं. 1685, 1686, 1690 में स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.08.2020 द्वारा प्रोफेशनल कॉलेज प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड की योजना स्वीकृत की गयी है। उक्त भूखण्ड माकड़वाली रोड के पूर्व दिशा की ओर मौके पर स्थित 60 फीट चौड़े मार्ग पर स्थित है तथा अजमेर शहर के मास्टर प्लान में इस स्थल को सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यावसायिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (प्रोफेशनल कॉलेजस एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट पी. सी.) (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) के तहत प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव / योजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया एवं आगामी प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया**	निदेशक आयोजना
7	**राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** पुष्कर स्थित ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खसरा नं. 2083 / 2603, 2083 / 2605, 601, 602, 598, 599, 600 की भूमि 14 हैक्टेयर (34.59 एकड़) जिसे पुष्कर मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2031 में ट्यूरिस्ट फैसिलिटी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पर पूर्व में ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 26.02.2020 तत्पश्चात् प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2020 में योजना का अनुमोदन किया गया था। जिसमें निर्देशानुसार निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये है:– 1. ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) हेतु आरक्षित भूखण्ड़ को योजना के स्वरूप अनुसार होटल हेतु ही प्रस्तावित किया गया है। एवं पूर्व में निर्धारित सुविधा क्षेत्र के क्षेत्रफल अनुसार कुछ भाग को फेसिलिटी हेतु आरक्षित भाग में सम्मिलित किया गया है।	निदेशक आयोजना

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

2. पैट्रोलपम्प/व्यवसायिक हेतु आरक्षित भूखण्ड़ को होटल हेतु ही प्रस्तावित किया गया है।

3. पूर्व में सृजित योजना के होटल हेतु प्रस्तावित एक भूखण्ड़ पर एवं विद्यमान पी.एच.ई.ड़ी एवं सुविधा क्षेत्र के मध्य सड़क के मार्गाधिकार को यातायात के सुगमता हेतु 18 मीटर एवं पार्किंग हेतु प्रस्तावित किया गया है।

योजना का आगामी प्राधिकरण की बैठक में पुष्टि करवायी जानी अपेक्षित है। उक्त संशोधन ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.08.2020 द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। पूर्व प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार ख.न. 602 के कुछ भाग में अतिक्रमण है एवं ख.न. 602 के पूर्ण खसरें पर न्यायालय का स्टे प्रभावी है। स्टे प्रभावित क्षेत्र का निष्पादन न्यायालय निर्णय के पश्चात् होगा । अतः स्टे प्रभावी खसरें को छोडते हुए शेष योजना का क्रियान्वन किया जायेगा। आगामी प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

8 **संयोगिता नगर में 5 आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य योजनाओं में भूखण्ड देने बाबत प्रस्ताव।** — उपायुक्त उत्तर

अजमेर विकास प्राधिकरण की अवाप्तशुदा योजना संयोगिता नगर की भूमि को सिविल न्यायालयों को आवंटित किये जाने के कारण उक्त योजना में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये व्यवसायिक भूखण्डों के बदले अन्य योजनाओं में भूखण्ड स्थानांतरित करने बाबत।

नगर सुधार न्यास ,अजमेर के संयोगिता नगर व्यवसायिक योजना की अवाप्ति अवार्ड अधिसूचना दिनांक 23.04.1991 को जारी की गई थी जिसमें राजस्व ग्राम थोकमालियान अजमेर के भूमि ख.न. 3239 मिन रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा एवं पुनः ख.न. 3239 मिन रकबा 8 बीघा कुल किता 2 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा भूमि का जारी किया गया था। उक्त योजना में नीचे उल्लेखित सारणी अनुसार नीलामी द्वारा 5 व्यवसायिक भूखण्डों पर बेचान किया गया था जो निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवंटी का नाम	आवंटित भू.स. मूल संशोधित	क्षेत्रफल व. गज	नीलामी दर प्रति.व. गज.	नीलामी दिनांक	सड़क की चौडाई
1	वासूदेव बालानी	55 कार्नर संशोधित	88.88	19300	03.02. 2005	30^ wide
2	पदमापत्त पुत्र विजयान्त पाटनी	32 मूल	50	130050	07.07. 2015	40^ wide
3	सुरेशचन्द गुप्ता	12 संशोधित	22.22	20250	01.10. 2003	40^ wide
4	साधना रावत एवं बीना शर्मा	14 संशोधित	22.22	20200	01.10. 2003	40^ wide
5	पूर्णिमा मूलचन्दानी	11 संशोधित	22.22	20251	18.02. 2005	40^ wide

उपायुक्त अ.वि.प्रा., अजमेर

कुमार (RAS) सचिव अ.वि.प्रा., अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण की संयोगिता नगर योजना की सम्पूर्ण भूमि न्यायालय को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिये जाने से आवंटियो को नियमानुसार प्राधिकरण स्तर से 3 विकल्प दिये गये थे उक्त तीनों विकल्पों में नीलामी दाता आवंटी को नियमानुसार राशि रिफण्ड करने का एवं न्यायालय परिसर की भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्लानिंग उपरान्त वही पर समान क्षेत्रफल के भूखण्ड दिये जाने का विकल्प एवं प्राधिकरण की अन्य समकक्ष योजनाओं में वैकल्पिक भूखण्ड समकक्ष स्तर का दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। जिनमें उपरोक्त 5 आवंटियों द्वारा तृतीय विकल्प पर अपनी सहमति प्रेषित की है।

उक्त तीनों विकल्पों में से एक व दो विकल्प राज्य सरकार से अनुमोदित है शेष विकल्प 3 के सबंध में अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 11.07.18 को तुलनात्मक रूप तैयार कर पत्र अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। इस बाबत बिन्दु सं. 3 के विकल्प के क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 25.03.19 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त नीलामी दाताओं को नीलामी में आवंटित किये गये भूखण्डो का वर्तमान में उसके बदले जो भूखण्ड दिये जाने है उनकी दरों एवं क्षेत्रफल की समतुल्यता में ही भूखण्ड दिये जायेगे एंव इसका निर्णय प्राधिकरण स्तर से ही तय किया जाना है, प्राप्त हुआ है इस सबंध में निवेदन है कि वर्तमान में संयोगिता नगर की आरक्षित दर (व्यावसायिक) रू. 26312/– प्रति वर्गमीटर है, समतुल्यता के अनुक्रम में निवेदन है कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 5 योजनाऐं जिनमें रिजर्व प्राईज ज्यादा है उनकी व्यावसायिक दरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	योजना	आरक्षित दर (व्यावसायिक) आवासीय की दूगनी प्रतिवर्ग मीटर में
1	हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य	10524
2	बालकृष्ण कौल नगर	10524
3	हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार	10580
4	पंचशील नगर ए.बी.सी.	13156
5	पंचशील नगर ई ब्लॉक	33250

अशोक कुमार चौधरी
उपायुक्त
अ०वि०प्रा०, अजमेर

अतः उक्त के क्रम में निर्णय हेतु प्रार्थीगणों को दरों की समतुल्यता/क्षेत्रफल की समतुल्यता बाबत व्यवसायिक भूखण्ड दिये जाने का नीतिगत निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाना है। इस हेतु प्रकरण तैयार कर प्राधिकरण की एम्पावर्ड कमेटी में निर्णयार्थ रखा जा रहा है।

	अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। उपायुक्त उत्तर ने अवगत कराया कि इन समस्त प्रकरणों की पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन कर आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर प्रकरण मे उपायुक्त उत्तर का निर्देशित किया गया कि संयोगिता नगर में पांचों आवंटित भूखण्डों का अध्ययन कर प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पीड़ित पक्षकारों को समतुल्य आधार पर नियमानुसार भूमि आवंटन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में समतुल्यता के आधार पर पीडित पक्षकारों को भूखण्ड देने की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई। प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में रखा जावें।**	उपायुक्त
9	**दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर राजस्व ग्राम कायड़ के खसरा नं. 4507 एवं 5441/4507 आवेदक नाजिम दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।** राजस्व ग्राम कायड़ के खसरा नं. 4507 एवं 5441/4507 कुल क्षेत्रफल 109275.30 वर्गमीटर का अजमेर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आंशिक परिधि नियंत्रण पट्‌टी एवं शेष पर्यटन सुविधा तथा अजमेर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2033 (प्रारूप) के अनुसार पर्यटन सुविधा एवं आंशिक आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु नाजिम दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब द्वारा आवेदन किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 14.01.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। नियम अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई परन्तु नियत अवधि के पश्चात प्रकरण में एक आपत्ति प्राप्त हुई थी। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रकरण में निर्धारित अवधि के पश्चात आपत्ति प्राप्त होने के कारण आपत्ति का परीक्षण भूमि शाखा द्वारा स्वामित्व व सम्बन्धित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच जोन उपायुक्त स्तर पर प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण तदानुसार परीक्षण हेतु जोन उपायुक्त को भिजवाया गया। जिसके क्रम में जोन उपायुक्त द्वारा खसरा नं. 4507 रकबा 6.93 हैक्टेयर, 5441/4507 रकबा 4.41 हैक्टेयर की खातेदारी "दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ" के नाम दर्ज है। आपत्ति के बिन्दु सं. 1 में उल्लेख किया गया कि आवेदित भूमि मन्दिर, माफी, राजकीय विभाग, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक ट्रस्ट, धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट व वक्फ की नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। जबकि जोन उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि वक्फ, सार्वजनिक ट्रस्ट, धार्मिक एवं माफी की भूमि होने का उल्लेख किया गया है। जोन उपायुक्त की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खातेदारी की है जो दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ के नाम है। जो कि ना तो ट्रस्ट के नाम है और ना ही आवेदनकर्ता के नाम है। अतः आपत्तिकर्ता का बिन्दु सं. 2 की आवेदक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रथमतः सही होना उल्लेख किया गया है। उक्त टिप्पणी के क्रम में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्णित भूमि धार्मिक/चैरिटेबल संस्था के अन्तर्गत आती है क्योंकि दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर धार्मिक/चैरिटेबल संस्था है जिसका गठन दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के तहत किया गया है और यह भूमि इस संस्था की है। तदानुसार ही आवेदन संस्थान द्वारा किया गया है।	निदेशक आयोजना

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	उपायुक्त उत्तर की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं. 3 व 4 की आपत्ति में कोई सारगर्भित कथन नहीं है। बिन्दु सं. 5 के अनुसार रूपान्तरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय सक्षम स्तर से लिया जाना उचित है। उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में विधि शाखा की राय के अनुसार "दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 की बिन्दु सं. 2–सी के अन्तर्गत दरगाह की परिभाषा में दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर भी सम्मिलित है। अतः दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि वक्फ/ट्रस्ट है। नगरीय विकास विभाग के भू–उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड के परिपत्र दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु सं. 16 के अनुसार ऐसी भूमि जो मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग या किसी विधि द्वारा स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट/धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान, वक्फ की है तो उसका भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का उल्लेख है। अतः उक्त के क्रम में प्रश्नगत भूमि का धार्मिक संस्थान की श्रेणी में होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।" अतः भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर प्रकरण को नगरीय विकास विभाग को उचित मार्ग दर्शन हेतु पत्रावली भेजने का अनुमोदन किया गया ।**	
10	**प्राधिकरण में पूर्व में कार्यरत रहे श्री राजेश कुमार तुलारा, निदेशक आयोजना, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (अतिरिक्त कार्यभार) द्वारा कार्य सम्पादन हेतु टैक्सी से की गयी यात्राओं के वास्तविक व्यय बिलों के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।** प्राधिकरण में पूर्व में कार्यरत रहे श्री राजेश कुमार तुलारा, निदेशक आयोजना, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (अतिरिक्त कार्यभार) द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जयपुर से अजमेर आवागमन बाबत टैक्सी से की गयी यात्राओं के वास्तविक व्यय बिलों के भुगतान (राशि 23,222/–) की स्वीकृति आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन किये जाने की प्रत्याशा में किया गया था। जिसके सम्बन्ध में पत्रावली की नोटशीट के पेरा 59/एन पर तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया था। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर प्रकरण का अनुमोदन किया गया ।**	निदेशक आयोजना
11	**अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय परिसर मे ICICI बैंक की शाखा खोलने के लिए किराया निर्धारण एवं किराये का एग्रीमेन्ट का अनुमोदन कराने बाबत्।** प्राधिकरण कार्यालय परिसर में पूर्व में देना बैंक कार्यरत थी, जिसका किराया राशि रूपये 25000/– प्रति माह था, किन्तु देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाने के कारण, बैंक द्वारा उक्त शाखा को सावित्री चौराहा स्थित ब्रॉन्च पर स्थानान्तरित कर लिया गया हैं, एवं प्राधिकरण स्थित ब्रान्च को बन्द कर दी गई है। तत्पश्चात् आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा प्राधिकरण कार्यालय के परिसर में बैंक शाखा खोलने की सहमति प्रस्तुत की हैं, आयुक्त महोदय द्वारा बैंक ब्रॉन्च का किराया निर्धारण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किराया निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित कि गई, जिसमें निर्णयानुसार बैंक ब्रान्च का किराया P.W.D. के Standing Order x-3 /2011 के आधार पर राशि रूपये 29000/– (GST पृथक से) प्रतिमाह एवं इसके अतिरिक्त (पानी, बिजली का किराया) निर्धारण किया गया। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के मध्य होने वाली	भण्डार शाखा

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	किराया एग्रीमेन्ट का प्रारूप प्राधिकरण स्तर पर जांच कर प्रस्तावित एग्रीमेन्ट ICICI Bank द्वारा मंजूर की जाकर दोनो पक्षों ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिनांक 27.07.2020 को पंजीबद्व कर दी गई हैं। अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण परिसर में पूर्व में ''देना बैंक अजमेर'' की शाखा के स्थान पर ICICI Bank की शाखा को मासिक किराया 29000/- रूपये प्रतिमाह (GST पृथक) एवं किराये का एग्रीमेन्ट किया गया हैं, के अनुमोदन हेतु । **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	
12	**सतगुरू इन्टरनेशनल व चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा G&F ब्लॉक पृथ्वीराज नगर सतगुरू स्कूल के पास चौराहों पर गार्डन, पेड–पौधे इत्यादि कार्य करने एवं अनुरक्षण के सबंध में अनुमोदन हेतु।** उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त संस्था द्वारा G&E ब्लॉक, सतगुरू इन्टरनेशनल स्कूल के पास GoE ब्लॉक पृथ्वीराज नगर में चौराहों व सड़कों पर पेड़–पौधे लगाने व अनुरक्षण करने के लिए पत्रांक 251 दिनांक 03.07.2020 द्वारा अनुमति चाही है। इस संबंध में संस्था ने रू. 500/– के नॉनज्यूडिशयल स्टाम्प पर MOU हस्ताक्षरतार्थ प्रस्तुत किया है। MOU के अनुसार GoE ब्लॉक के सर्किल व डिवाईडर को 3 वर्षो की अवधि हेतु सौन्दर्यकरण व संचारण हेतु उक्त चेरिटेबल ट्रस्ट ने सहमति दी है। चेरिटेबल ट्रस्ट ने चौराहों की साइटेंह्न स्तान्तरित करने की अनुमति चाही है। MOU की शर्तानुसार हस्तानान्तरित की जानी वाली सुविधाओं पर कोई वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेगी और न ही किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। चौराहों व सड़कों के सौन्दर्यकरण के विभिन्न स्थानों पर उक्त चेरिटेबल ट्रस्ट अपना विज्ञापन लगायेगा।समस्त अन्य शर्ते सलंग्न MOU मे अंकित है। प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर प्रकरण का अनुमोदन किया गया ।**	निदेशक अभियांत्रिकी (अनिल गुप्ता) निदेशक अभियांत्रिकी
13	**पंचशील नगर में झलकारी बाई स्मारक के सामने स्थित सर्कल एवं डिवाईडर के विकास एवं रख रखाव के MOU बाबत्।** पंचशील नगर में झलकारी बाई स्मारक के सामने स्थित सर्कल एवं डिवाईडर के विकास एवं रख रखाव हेतु ब्राविया होटल समूह (सतगुरू इंटरनेशल) द्वारा स्वंय के स्तर पर विकसित करने का निवेदन किया था। इस क्रम में स्वायत्त शासन विभाग के अनुपम मिशन की तर्ज पर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में 3 वर्ष MOU ब्राविया	निदेशक अभियांत्रिकी (अनिल गुप्ता) निदेशक अभियांत्रिकी

किशोर कुमार (RAS)
सचिव
अ.वि.प्रा., अजमेर

	होटल (सतगुरू इंटरनेशल) से दिनांक 01.07.2020 को निष्पादित किया गया था । प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– कार्यकारी समिति द्वारा वाद विचार विमर्श कर प्रकरण का अनुमोदन किया गया ।**	
14	**अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ।**	

बैठक अन्त में सहधन्यवाद समाप्त की गई।

उक्त बैठक कार्यवाही विवरण माननीया आयुक्त महोदया से अनुमोदित है।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर
दिनांकः– 24/08/2020

क्रमांक / अविप्रा / सचिव / 2020 / 366 – 395

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सहायक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
8. निजी सहायक, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
9. अति. जिला कलक्टर शहर, अजमेर।
10. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. मुख्य अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. अजमेर।
12. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
13. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर रीजन, अजमेर।
14. सलाहकार (एएण्डएम) राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं विनियोजन नि.लि., जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) (महाप्रबन्धक अभियांत्रिकी), राजस्थान राज्य परिवहन नि. लि., जयपुर।
16. उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
17. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण / पुष्कर / किशनगढ़, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. अधीक्षण अभियन्ता उत्तर / दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक विधि परामर्शी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. आयुक्त, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
24. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
25. प्रभारी अधिकारी भंडार शाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर